अति–आवश्यक

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र संख्याः– 141 एमटी/2019–147एमटी/91(I) दिनाँक 13.01.2020

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0परिवहन निगम।
2– समस्त सेवा प्रबन्धक
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– शरद ऋतु में परिवहन निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों की भौतिक दशा में सुधार किये जाने एवं दुर्घटनाओं में रोकथाम के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या– 4124 एमटी/19–147एमटी/91(I) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया था कि शरद ऋतु में कोहरे के दृष्टिगत सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु निगम एवं अनुबन्धित बसों की भौतिक व यान्त्रिक दशा में सुधार करते हुए दिनाँक 03.01.2020 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, परन्तु अभी तक क्षेत्रों द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है। उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में वाहनों की भौतिक दशा में अनेक कमियाँ पायी गयी हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सुरक्षित संचालन हेतु सभी संचालित वाहनों में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

1. सभी बसों में हेड लाइट, बैक लाइट, टेल लाइट, साइड इण्डीकेटर लाइट एवं हार्न सही दशा में कार्यरत हों।
2. सभी बसों में आलवेदर बल्ब/फाग लाइट लगे हों।
3. सभी बसों पर रिफ्लेक्टिव टेप निर्धारित स्थान पर लगे हों।
4. सभी बसों में अग्निशमन यंत्र कार्यरत अवस्था में हों एवं फर्स्ट एड बाक्स आवश्यक उपचार सामाग्री के साथ रखें हों।
5. सभी बसों के आकस्मिक निकास द्वारा ठीक स्थिति में हों, इनके डोर लॉक खुलने में कठिनाई न हों।
6. सभी वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस कार्यरत हो एवं वाहन की गति नियंत्रित हो।
7. वाहनों का निर्धारित मेन्टीनेंस समय पर किया जाए एवं दैनिक चेकिंग में स्टीयरिंग एवं ब्रेक सिस्टम का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों के टायरों की दशा ठीक हो।
8. सभी बसों की खिड़कियों में शीशे लगे हों एवं बस बॉडी की दशा, पेन्टिग एवं सीटें अच्छी दशा मे हों।
9. वाहनों का आर0आई0 फिटनेस समय पर करा लिया जाए। बिना आर0आई0 फिटनेस के वाहन न संचालित की जाए।
10. वाहनों की दुर्घटना में प्रमुखतः मानव जनित कारण पाये गये हैं। अतः आवश्यक है कि वाहनों को संचालित करने वाले चालकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बस चालकों को दुर्घटना बाहुल्य स्थानों की जानकारी दी जाए। बसों की आउट शेडिग के समय चालकों को कोहरे में सुरक्षित संचालन हेतु जागरूक किया जाए।

–02 पर

11. सभी निगम व अनुबन्धित बसों की 31 बिन्दुओं की जॉच तथा सुधारात्मक कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जाये तथा सभी निगम एवं अनुबन्धित बसों में पायी गयी कमियों को दिनॉक 15.02.20 तक सुधारात्मक कार्यवाही कर प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए।
12. निरीक्षण के दौरान विदित हुआ है कि कतिपय क्षेत्रों की बसों में डेन्टिग/पेन्टिग कराया जाना शेष है, बॉडी की दशा ठीक नही है। 02 लाख किमी0 मेन्टीनेंस का कार्य भी सुचारू ढंग से कुछ क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। सम्बन्धित सेवा प्रबन्धक शीघ्रातिशीघ्र समस्त बसों की बस बॉडी, सीटे, शीशे, डेन्टिग/पेन्टिग का कार्य दिनॉक 31.03.2020 तक पूर्ण करायें। इस कार्य को लक्ष्य बनाकर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 राजशेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्धक निदेशक, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजशेखर)
प्रबन्ध निदेशक